



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1385]  
No. 1385]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2010/आषाढ़ 18, 1932  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2010/ASADHA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

आय-कर

का.आ. 1638(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (7वां संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 में, उप-नियम (3) के परन्तुक में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) कोई फर्म जिससे प्ररूप आईटीआर-5 में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिसको धारा 44कख के उपबंध लागू हैं, वह खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी प्रस्तुत करेगी;

(कक) कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जिससे प्ररूप आईटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिसको धारा 44कख के उपबंध लागू होते हैं, वह खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा;

(कख) कोई कम्पनी जिससे प्ररूप आईटीआर-6 में विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगी;”।

[अधिसूचना सं. 49/2010/फा. सं. 142/15/2010-टीपीएल]

पवन के. कुमार, निदेशक (टी.पी.एल.-IV)

टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 126(अ), तारीख 31 मई, 2010 के तहत आय-कर (6वां संशोधन) नियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2010

(INCOME-TAX)

S.O. 1638(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 read with Section 139 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (7th Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 12, in sub-rule (3), in the proviso, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(a) a firm required to furnish the return in Form ITR-5 and to whom provisions of Section 44AB are applicable shall furnish the return in the manner specified in clause (ii) or clause (iii);

(aa) an individual or HUF required to furnish the return in Form ITR-4 and to whom provisions of Section 44AB are applicable shall furnish the return for Assessment Year 2010-11 and subsequent Assessment Years in the manner specified in clause (ii) or clause (iii);

(ab) a company required to furnish the return in Form ITR-6 shall furnish the return for Assessment Year 2010-11 and subsequent Assessment Years in the manner specified in clause (ii);”

[Notification No. 49/2010/F. No. 142/15/2010-TPL]

PAWANK. KUMAR, Director (TPL-IV)

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (6th Amendment) Rules, *vide* Notification number S.O. 1261(E), dated 31st May, 2010.